सस्ते होंगे ई-वाहन, कंपनियों को आयात कर में भारी राहत

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी आने वाले समय में सस्ते होंगे। सरकार ने घरेलू ईवी उत्पादन में निवेश करने वाले विदेशी वाहन निर्माताओं के लिए आयात कर में भारी कटौती का फैसला किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करना और प्रमुख वैश्विक कंपनियों को भारत लाना है।

सरकार ने ईवी की नई नीति सोमवार को अधिसूचित की। इससे इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं के लिए विंडो खुलने के बाद आवेदन करने का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों ने कहा, आवेदन विंडो कुछ हफ्तों में कम से कम 120 दिनों के लिए खुल सकती है।

वाहन निर्माताओं को वर्तमान में 70 से 100 प्रतिशत आयात कर की तुलना में 15 फीसदी शुल्क पर 8,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को आयात करने की मंजूरी मिलेगी। बशर्ते, वे कंपनियां स्थानीय ईवी विनिर्माण में 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए तैयार हों।

>> ईवी नीति : कारोबार

15% शुल्क पर 8,000 ईवी आयात करने की मिलेगी मंजूरी

तीन साल के भीतर देश में शुरू करना होगा विनिर्माण

- भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के तहत अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनियों को मंजूरी मिलने के तीन वर्षों में भारत में विनिर्माण सुविधाओं में परिचालन शुरू करना होगा।

अधिकतम छूट शुल्क 6,484 करोड़ रुपये

- योजना के तहत किए गए निवेश पर प्रति आवेदक अधिकतम छूट शुल्क 6,484 करोड़ रुपये होगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा, तीन साल के दौरान भारत में आवेदक की ओर से की जाने वाली न्यूनतम निवेश प्रतिबद्धता 4,150 करोड़ रुपये होगी।